61 साल पुराने जर्जर छात्रावास तोड़ने के आदेश

नीमच में 40 बच्चों की सुरक्षा पर सवाल, अब तक शिफ्ट नहीं किए छात्र

नीमच 28 जुलाई. जिले में कई स्कूल भवन और छात्रावासों की इमारतें जर्जर हालत में हैं. पीडब्ल्यूडी ने जिला मुख्यालय पर स्थित 61 साल पुरानी इमारत को तोडने् के आदेश दिए हैं. इस इमारत में वर्तमान में 40 बच्चे रह रहे हैं. इससे हादसे की आशंका बना हुई है.

सिटी रोड स्थित शासकीय विमुक्त जाति बालक छात्रावास की इस बिल्डिंग को पीडब्ल्यूडी ने 2 साल पहले ही तोडने् लायक बताया था. इसे जीर्ण-शीर्ण घोषित करने के लिए कलेक्टर कार्यालय से 11 जुलाई 2024 को एसडीएम और लोकनिर्माण विभाग को पत्र भेजा गया था. इसके बाद 8 अगस्त 2024 को लोनिवि ने छात्रावास को तोडने् के आदेश जारी किए. गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री ने 6 अगस्त 2024 को भवन का निरीक्षण किया था.

निरीक्षण में पाया गया कि 1964 में बने इस छात्रावास के कॉलम में कई जगह दरारें आ चुकी हैं. छत से पानी टपकता है और दरवाजों की स्थिति भी अच्छी नहीं है. इसके अलावा 1975 में निर्मित पास का भवन भी खराब हालत में है. वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है और इस जर्जर इमारत में हादसे की आशंका बनी हुई है. अफसरों का कहना है कि बच्चों को मुख्य जर्जर भवन में नहीं रखा गया है. वे पास के कमरों में रह रहे हैं.

बच्चों को करेंगे शिफ्ट

आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक राकेश राठौर ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर सभी बच्चों को मनासा-नीमच रोड स्थित ट्रिनिटी भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा. वर्तमान में सिर्फ किराया तय होना बाकी है. इसके बाद बच्चों को नई सुरक्षित बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. बड़ा सवाल यह है कि अब प्रशासन ने इस ओर

चीफ जस्टिस ने जताई नए जजों की नियुक्ति पर प्रसन्नता

जबलपुर, 28 जुलाई. मप्र हाईकोर्ट के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के सम्मान में सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के रजत जयंती आदर्श सभागार में गरिमामय अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया.

इस दौरान चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने नए जजों की नियुक्ति पर प्रसन्नता जाहिर की। साथ ही उम्मीद जताई कि शीघ्र ही शेष रिक्त पद भी इसी तरह भर लिए जाएंगे. इससे मुकदमों के लंबित बोझ तले दबे हाईकोर्ट को काफी हद तक राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि बार और बेंच न्याय रथ के दो पहिए हैं, जिनके समन्वय से पक्षकारों की न्याय की आस पूरी होती है. मेरा चेम्बर का दरवाजा बार के पदाधिकारियों के लिए सदैव खुला है. वे अपनी समस्या और सुझाव लेकर यहां कभी बेधड़क आ सकते हैं. इस दौरान हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन, स्टेट बार चेयरमैन राधेलाल गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष धन्य कुमार जैन, सचिव परितोष त्रिवेदी, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार के सचिव निखिल तिवारी, जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा मंचासीन थे. अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पीपल का पौधा भेंटकर सम्मानित किया.

शराब ठेकेदारों ने किया हमला

- कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप
- दोनों दलों के बीच टकराव की आशंका

मंडला, 28 जुलाई. जिले में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है. युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष जैन ने सत्तारूढ़ दल से जुड़े शराब ठेकेदारों पर जानलेवा हमले और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है.

उन्होंने राजेश पटेल और रवि उर्फ डब्बू राय सहित अन्य के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक मंडला को लिखित आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अधीक्षक को की गई शिकायत में आशीष जैन ने बताया कि 27 जुलाई की रात जब वह परसवाड़ा से लौट रहे थे, तब बम्हनी क्षेत्र में पहले से घात लगाए बैठे राजेश पटेल और उनके साथियों ने 4-5 वाहनों से उन्हें घेरा और रास्ता रोककर गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की.

इस पूरे प्रकरण में चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं वे सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली कार्यकर्ता माने जाते हैं और स्थानीय सांसद, विधायक और मंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं. यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मी बढ़ गई है.

जांच कराई जाएगी

शिकायतकर्ता आशीष जैन युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं. अभी तक विवाद के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. पूर्व में भी इन्हीं आरोपियों के विरुद्ध बम्हनी बंजर थाने में शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. अब एक बार फिर खुलेआम हथियार लहराने और धमकाने जैसी घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है. पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि वीडियो के आधार पर आवेदक पक्ष ने आवेदन दिया है, आवेदन को तत्काल एसडीओपी मंडला को देकर दो दिनों में मामले की संपूर्ण जांच कराई जाएगी.

महिला पर दंराती से हमला करने वाले को 1 साल की सजा

खंडवा. दंराती से मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रचना अतुलकर जोशी, खण्डवा को न्यायालय ने फैसला दिया. आरोपी मलखान सिंह पिता प्रतापसिंह उम्र-40 वर्ष निवासी ग्राम साउखेडा जिला खण्डवा को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मो. जाहिद खान द्वारा किया गया. अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शहरिप्रसाद बांके, एडीपीओ. ने बताया कि, फरियादी उमेंन सिंह द्वारा थाना जावर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

चालू लाइन से 132 केवी आइसोलेटर का ब्लेड चोरी

हजारों उपभोक्ताओं पर बिजली संकट का खतरा

मंदसौर, 28 जुलाई. मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 132 केवी सबस्टेशन मल्हारगढ़ में अज्ञात चोरों ने चालू यार्ड से अत्यंत संवेदनशील और तकनीकी उपकरण- आइसोलेटर ब्लेड चोरी कर लिया.

यह घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाती है, बल्कि आने वाले समय में मंदसौर-नीमच क्षेत्र के हजारों बिजली उपभोक्ताओं के लिए गंभीर संकट का संकेत भी है. आइसोलेटर उपकरण सबस्टेशन में आपात स्थितियों में बिजली आपूर्ति बनाए रखने का विकल्प होता है. इसके अभाव में अचानक आई किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या लोड बढ़ने पर वैकल्पिक आपूर्ति असंभव हो जाती है.

तीन महीने तक रहेगा खतरा : एम.पी. ट्रांसको के कार्यपालन यंत्री दिनेश शर्मा के अनुसार चोरी हुआ आइसोलेटर ब्लेड कोई सामान्य पुर्जा नहीं है, बल्कि विशेष तकनीकी मांग पर निर्मित किया जाता है. हर सबस्टेशन की डिजाइन अलग होने से इसका सामान्य स्टॉक उपलब्ध नहीं होता. पुनर्प्राप्ति में कम से कम तीन माह का समय लग सकता है.

इस तकनीकी बाधा से मल्हारगढ़ तहसील के साथ-साथ पहेड़ा, बुढा, अरनिया, पिपलिया मंडी, पिपलिया विशनियां, खेरखेड़ा, आंकली, कनघट्टी, चंदू, बरखेड़ा, नारायणगढ़, जीरन, बोरखेड़ी और कचनार क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.

प्रवाह जानलेवा जोखिम

जिस उपकरण को चुराया गया वह 132,000 वोल्ट के खतरनाक विद्युत प्रवाह में सक्रिय था. इतनी उच्च क्षमता की लाइन में बिना सुरक्षा उपकरणों के प्रवेश जानलेवा हो सकता है. घटना ने यह भी दर्शा दिया कि सुरक्षा उपाय कितने लचर हैं, जिससे भविष्य में बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. फिलहाल ट्रांसमिशन कंपनी के लिए चोरी हुए उपकरण की पूर्ति और वैकल्पिक व्यवस्था करना बड़ी चुनौती बन गया है. साथ ही, पुलिस प्रशासन को भी इस गंभीर अपराध के पीछे मौजूद असामाजिक तत्वों को पकड़ने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करनी होगी.

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयरू द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बेंगलुरु–560071। शाखा कार्यालय : प्लॉट संख्या 306–ए, पीयू 4, स्कीम संख्या 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर–452010।

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

जबकि आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड, अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकता/गारंटर/बंधककर्ताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को उस पर भविष्य के ब्याज सहित चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका।

सं. क्र.	उधारकर्ता का नाम/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए की तिथि और मांग नोटिस की तिथि	देय राशि रुपये में/दिनांक तक
1	1) श्री आसिफ खान, पुत्र हाजी इब्राहिम खान, 2) श्रीमती शबाना खान, पत्नी आसिफ खान	ऋण खाता सं. 33039610000165 ऋण राशि : रु. 32,09,625/–	अचल संपत्ति : फ्लैट संख्या 403 वाला संपूर्ण आर.सी.सी. सुपर स्ट्रक्चर, चौथी मंजिल पर, जिसका सुपर निर्मित क्षेत्रफल 951 वर्ग फुट (88.38 वर्ग मीटर) है, श्रीनगर, खजरानी कांकड़, इंदौर, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित प्लॉट संख्या 5 और 6 वाली भूमि पर निर्मित 'कीर्ति पैलेस अपार्टमेंट' नामक बहुमंजिला इमारत में। पूर्व में फ्लैट संख्या 402, पश्चिम में फ्लैट संख्या 404, उत्तर में सड़क और दक्षिण में सीढ़ियाँ और लॉबी से घिरा हुआ।	02–07–2025 और 09–07–2025	32,16,659.56 रुपये (बत्तीस लाख सोलह हजार छह सौ उनसठ और छप्पन पैसे मात्र) 07.07.2025 तक
2	1) श्री तूफान सिंह गुर्जर, पुत्र कुवरजी गुर्जर, 2) श्रीमती श्यामू बाई, पत्नी तूफान सिंह गुर्जर	ऋण खाता सं. 36419440000464 ऋण राशि : रु. 2,00,000/–	अचल संपत्ति : सर्वेक्षण संख्या 230/1 का वह पूरा भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, पी.एच. मकान संख्या 29, ग्राम खुरमुंडी में स्थित, ग्राम पंचायत झिरमरी, तहसील खाचरोद और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व में सड़क, पश्चिम में स्वयं के स्वामित्व वाली भूमि, उत्तर में लाल सिंह की भूमि और दक्षिण में स्वयं के स्वामित्व वाली भूमि से घिरा हुआ।	02–07–2025 और 09–07–2025	07.07.2025 तक 1,43,570.35 (रुपये एक लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ सत्तर और पैंतीस पैसे मात्र)
3	1) श्री चरण सिंह, पुत्र छतर सिंह, मालिक मैसर्स. गुर्जर डेयरी प्रपत्र, 2) श्रीमती हेमा गुर्जर, पत्नी चरण सिंह	ऋण खाता संख्या 30609440000163 30609410000220 ऋण राशि : रु.7,07,000/–	अचल संपत्ति : मकान संख्या 41 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 3760 वर्ग फुट (349.44 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण सहित, मकान संख्या 45 (सरल संख्या 2124), ग्राम बुडानगाँव में स्थित, ग्राम पंचायत बुडानगाँव, तहसील सोनकच्छ और जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व में गोविंद सिंह, पश्चिम में आम सड़क, उत्तर में स्वयं के स्वामित्व वाली भूमि और दक्षिण में रुगेंद्र सिंह।	02–07–2025 और 15–07–2025	6,32,627.91 (रुपये छह लाख बत्तीस हजार छह सौ सत्ताईस और इक्यानबे पैसे मात्र) 08.07.2025 तक
4	1) श्री हेदर, पुत्र मुबारिक, अब दिवंगत, उनकी पत्नी शबाना बी द्वारा प्रतिनिधित्व हैदर की पत्नी, 2) श्रीमती शबाना बी, पत्नी हैदर	ऋण खाता संख्या 30609630000763 30609410001118 ऋण राशि : रु.20,00,000/–	अचल संपत्ति : आवासीय भवन का वह पूरा टुकड़ा जो सर्वेक्षण संख्या 802/3/2, कुल 0.0600 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 2800 वर्ग फुट (260.22 वर्ग मीटर) के कुल क्षेत्रफल पर निर्मित है, जिसमें आरसीसी निर्माण भी शामिल है। पुलिस मुख्यालय संख्या 31, सरल संख्या 925, ग्राम पवारडा, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) में स्थित है। पूर्व में यूसुफ भाई का प्लॉट, पश्चिम में कॉमो रोड, उत्तर में नौसाद भाई का मकान और दक्षिण में अली पॉल का मकान।	02–07–2025 और 15–07–2025	20,38,216.30 (रुपये बीस लाख अड़तीस हजार दो सौ सोलह और तीस पैसे मात्र) 08.07.2025 तक
5	1) श्री इकबाल हुसैन, पुत्र रशीद अब्दुल, 2) श्रीमती नौशाद बानो, पत्नी इकबाल हुसैन	ऋण खाता संख्या 45579430000161 45579430000221 45579410000231 ऋण राशि : रु. 22,95,000/–	अचल संपत्ति : मकान संख्या 64/1 (मकान संख्या 64 का उत्तरी भाग) की भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 35.68 वर्ग मीटर है, निर्माण सहित, श्रीपाल मार्ग जमातखाना गली में, नगर निगम उज्जैन, तहसील एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में सरकारी सड़क, पश्चिम में सरकारी गली, उत्तर में आबिद भाई की भूमि और दक्षिण में विक्रेता का शेष भाग।	02–07–2025 और 15–07–2025	21,70,547.31 (रुपये इक्कीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ सैंतालीस और इकतीस पैसे मात्र) 09.07.2025 तक
6	1) श्री मंगल सिंह राठौर, पुत्र बाजे सिंह, 2) श्री विजय सिंह, पुत्र राम सिंह, 3) श्रीमती गंगा बाई, पत्नी विजय सिंह	ऋण खाता सं. 45579630000659 ऋण राशि : रु. 3,10,000/–	अचल संपत्ति : प्लॉट/मकान संख्या 112 की भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट (41.8064 वर्ग मीटर) है, निर्माण सहित, खसरा संख्या 453 का भाग, पी.एच. प्लॉट संख्या 62, ग्राम मालीखेड़ी में स्थित, ग्राम पंचायत मालीखेड़ी, जनपद पंचायत घटिया, तहसील घटिया और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व मेंः मोद सिंह का मकान, पश्चिम में : दिलीप सिंह का मकान, उत्तर मेंः आम सड़क और दक्षिण मेंः आम सड़क।	02–07–2025 और 15–07–2025	2,35,339.60 (रुपये दो लाख पैंतीस हजार तीन सौ उनतालीस और साठ पैसे मात्र) 09.07.2025 तक
7	1) श्री होकम, पुत्र बोंदुलाल, 2)श्रीमती श्री कांता बाई, पत्नी होकम	ऋण खाता नहीं। 45579630000790 ऋण राशि : रु. 5,00,000/–	अचल संपत्तिः मकान/भूखंड संख्या 05 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 3900 वर्ग फुट (362.45 वर्ग मीटर) है, उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 235 का भाग, PH. संख्या 50, ग्राम लालाखेड़ा में स्थित, ग्राम पंचायत लालाखेड़ा, तहसील तराना और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व मेंः अवतार सिंह का मकान, पश्चिम मेंः आम सड़क, उत्तर मेंः मदनलाल का मकान और दक्षिण मेंः मदनलाल जी का भूखंड।	02–07–2025 और 18–07–2025	13.07.2025 तक 4,08,299.87 (रुपये चार लाख आठ हजार दो सौ निन्यानवे और सत्तासी पैसे मात्र)
8	1) श्री जीतेन्द्र पटेल, पुत्र गिरधारीलाल, (प्रो. एमएस। कृष्णा डेयरी फार्म), 2) श्रीमती भावना बाई, पत्नी जितेंद्र	ऋण खाता संख्या 30609440000242 30609410000536 ऋण राशि : रु. 13,00,000/–	अचल संपत्ति : सर्वेक्षण संख्या 182 वाली वह समस्त व्यपवर्तित भूमि, कुल 800 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल में से 2000 वर्ग फुट (185.87 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल सहित, उस पर निर्माण सहित, ग्राम पंचायत आवल्या पीपल्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संख्या 73, सरल संख्या 890, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में प्रधानमंत्री सड़क, पश्चिम में रामेश्वर जी की कृषि भूमि, उत्तर में राधेश्याम जी की कृषि भूमि और दक्षिण में राहुल, पुत्र नानूराम जी की कृषि भूमि से घिरा है।	02–07–2025 और 18–07–2025	11,74,179.91 (रुपये ग्यारह लाख चौहत्तर हजार एक सौ उनासी और इक्यानबे पैसा) 13.07.2025 तक
9	1) श्री लालू बाई, पत्नी हरि सिंह, 2) श्रीमती गोविंद, पुत्र हरि सिंह	ऋण खाता संख्याः 32769630000552 32769410000618 ऋण राशि : रु. 4,78,000/–	अचल संपत्तिः मकानःप्लॉट संख्या 56 का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1045 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 278, पी.एच. संख्या 09, वार्ड संख्या 05 का एक भाग, ग्राम पिपलिया बाजार में, ग्राम पंचायत पारसोली, तहसील तराना (मोकडोन) एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में शंभू सिंह पप्पू सिंह का मकान, पश्चिम में कॉमन वे, उत्तर में सरदार सिंह का मकान और दक्षिण में अंबाराम शर्मा का मकान।	02–07–2025 और 18–07–2025	13.07.2025 तक 4,14,177.66 (रुपये चार लाख चौदह हजार एक सौ सतहत्तर और छियासठ पैसे मात्र)
10	1) श्री मुकेश दास, पुत्र, मंगल दास 2) श्रीमती माया, पत्नी मुकेश दास	ऋण खाता सं. 45578240000115 ऋण राशिः रु. 3,50,000/–	अचल संपत्तिः मकान/प्लॉट संख्या 365 का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 864 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 632, पी.एच. संख्या 09 का एक भाग। क्रमांक 56, वार्ड क्रमांक 05, ग्राम इटावा में स्थित, ग्राम पंचायत तराना, जनपद पंचायत तराना, तहसील तराना एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में दिनेशजी का मकान, उत्तर में धर्मेंद्र का मकान और दक्षिण में आम रास्ता।	02–07–2025 और 18–07–2025	2,91,200.86 रुपये दो लाख इक्यानवे हजार दो सौ और छियासी मात्र) 13.07.2025 तक
11	1) श्री पप्पूलाल, पुत्र देवीराम, 2) श्रीमती ममता, पत्नी पप्पूलाल	ऋण खाता संख्या 45579440000431 45579410000586 ऋण राशि : रु. 7,50,000/–	अचल संपत्तिः मकान क्रमांक 326 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 880 वर्ग फुट है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। सर्वेक्षण क्रमांक 406, पुलिस चौकी क्रमांक 113 का एक भाग, ग्राम पलवा में स्थित, ग्राम पंचायत पलवा, तहसील महिदपुर एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में श्री हरिराम, पुत्र श्री कनीराम, उत्तर में श्री जयराम, पुत्र श्री बापूलाल और दक्षिण में श्री रमेश, पुत्र श्री श्री नारायण।	02–07–2025 और 18–07–2025	5,48,102.61 (रुपये पाँच लाख अड़तालीस हजार एक सौ दो और इकसठ पैसे मात्र) 13.07.2025 तक
12	1) श्री अमृतलाल, पुत्र. प्रभुलाल, 2) श्री. प्रभुलाल, पत्नी. रामजी, 3) श्रीमती कृष्णाबाई, पत्नी प्रभुलाल	ऋण खाता संख्या 32768240000251 ऋण राशि : रु. 2,20,000/–	अचल संपत्तिः प्लॉट/मकान वाला समस्त भूखंड संख्या 2505, कुल क्षेत्रफल 540 वर्ग फुट, निर्माण सहित, खसरा संख्या 570, पी.एच. संख्या 47 का भाग, ग्राम सरली में, ग्राम पंचायत सरली, जनपद पंचायत तराना, तहसील माकड़ोन एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित। पूर्व में गली, पश्चिम में नंदराम का मकान, उत्तर में विक्रम का मकान और दक्षिण में सड़क से घिरा।	02–07–2025 और 19–07–2025	1,99,425.50 रुपये एक लाख निन्यानवे हजार चार सौ पच्चीस और पचास पैसे मात्र) 13.07.2025 तक
13	1) श्री अर्जुन सिंह, पुत्र जगन्नाथ, 2) श्रीमती कृष्णा बाई, पत्नी अर्जुन सिंह	ऋण खाता संख्या 45579440000381 45579410000181 ऋण राशि : रु. 6,24,000/–	अचल संपत्तिः मकान संख्या 18 वाला समस्त भूखंड, कुल क्षेत्रफल 2116 वर्ग फुट, निर्माण सहित, सर्वेक्षण संख्या 317, पी.एच. संख्या 47 का भाग। नं. 28, ग्राम पंचायत पान बड़ोदिया, तहसील घटिया और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर, ग्राम पान बड़ोदिया में स्थित है। पूर्व में श्री भीमसिंह की जमीन, पश्चिम में श्री बनेसिंह का मकान, उत्तर में सड़क और दक्षिण में श्री हाकमसिंह का घर।	02–07–2025 और 19–07–2025	2,52,480.84 (रुपये दो लाख बावन हजार चार सौ अस्सी और चौरासी पैसे मात्र) 13.07.2025 तक
14	1) श्रीमती रेवती बाई, पत्नी. भोरे सिंह, (प्रो. मेसर्स) रेवती सिलाई केंद्र), उनके एलआर श्री द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। भोरेसिंह पुत्र स्व. घासीराम, 2) श्री. भोरेसिंह पुत्र स्व. घासीराम	ऋण खाता नहीं। 45529440001078 ऋण राशिः रु.7,00,000/-	अचल संपत्तिः अचल संपत्तिः जमीन का वह पूरा टुकड़ा जिस पर नया मकान नं. 376, क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट (37.17 वर्ग मीटर), निर्माण सहित, सुंदर नगर वार्ड नं. 17 में, नगर निगम इंदौर, तहसील बड़नगर और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में श्री किशोर सिंह का मकान, पश्चिम में श्री रवींद्र सेन का मकान, उत्तर में सड़क और दक्षिण में अन्य लोगों का मकान।	02–07–2025 और 19–07–2025	5,88,228.89 (रुपये पाँच लाख अट्ठासी हजार दो सौ अट्ठाईस और नवासी पैसे मात्र) 13.07.2025 तक
15	1) श्री दिलीप, पुत्र बाबूलाल, 2) श्रीमती पूजा बंजारा, पत्नी दिलीप, 3) श्रीमती सोदरा, पत्नी बापू	ऋण खाता संख्या 36419610000370 51378940007903 ऋण राशि : रु. 17,40,000/–	अचल संपत्तिः आवासीय व्यपवर्तित भूमि का वह पूरा टुकड़ा सर्वेक्षण संख्या 493/2, जिसका क्षेत्रफल 8500 वर्ग फुट (789.96 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह ग्राम अंतरालिया, पीएच संख्या 00078, ग्राम पंचायत अंतरालिया, तहसील नागदा और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व मेंः डोनर सोरदाबाई की शेष भूमि, पश्चिम मेंः मंगू सिंह की भूमि, उत्तर मेंः आम सड़क और दक्षिण मेंः राजू, पुत्रः चंदा जी की भूमि।	02–07–2025 और 19–07–2025	13.07.2025 तक 17,05,166.49 रुपये सत्रह लाख पाँच हजार एक सौ छियासठ और उनचास पैसे मात्र)
16	1) श्री हाकम सिंह, पुत्र भंवर लाल, 2) श्रीमती पूजा, पत्नी हाकम सिंह	ऋण खाता संख्या 36410430000243 36418940032227 ऋण राशिः रु. 4,29,000/–	अचल संपत्तिः भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल मकानध्भूखंड संख्या 185 है, कुल क्षेत्रफल 575 वर्ग फुट (53.43 वर्ग मीटर), तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। नं. 19, ग्राम निंबोदिया खुर्द में स्थित, ग्राम पंचायत निंबोदिया खुर्द, तहसील नागदा और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व मेंः आम सड़क, पश्चिम मेंः कालूनाथ जी का मकान, उत्तर मेंः रमेश जी का मकान और दक्षिण मेंः आम सड़क।	02–07–2025 और 21–07–2025	रु. 3,61,720.00 (रुपये तीन लाख इकसठ हजार सात सौ बीस मात्र) 11.06.2025 तक
17	1) श्री जीवन सिंह, पुत्र कनीराम, 2) श्रीमती रामकन्या, पत्नी जीवन सिंह	ऋण खाता संख्या 32760440000168 51378940007461 ऋण राशि : रु. 4,60,000/–	अचल संपत्तिः मकानःभूखंड संख्या 80 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 840 वर्ग फुट है, उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 78/1 का भाग, पुलिस चौकी संख्या 32, वार्ड संख्या 10, ग्राम किराड़िया में स्थित, ग्राम पंचायत अंतरलिया, जनपद पंचायत खाचरोद, तहसील नागदा और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व मेंः रास्ता, पश्चिम मेंः रास्ता, उत्तर मेंः भारत भूमि और दक्षिण मेंः स्वयं की खुली भूमि।	02–07–2025 और 21–07–2025	3,69,788.90 (रुपये तीन लाख उनहत्तर हजार सात सौ अट्ठासी और नब्बे पैसे मात्र) 11.06.2025 तक
18	1) श्री संजय, पुत्र प्रभुलाल, 2) श्री प्रभु जी, पुत्र. मंगू जी, 3) श्रीमती इंद्रा बाई, पत्नी. प्रभुलाल	ऋण खाता संख्या 45578240000167 47220330006540 ऋण राशि : रु. 3,25,000/–	अचल संपत्तिः मकान/भूखंड संख्या 36 वाला वह संपूर्ण भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 250, गृह संख्या 49 का एक भाग, ग्राम मुंजाखेड़ी में, ग्राम पंचायत धबलासिया, जनपद पंचायत महिदपुर, तहसील महिदपुर और जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में आम सड़क, पश्चिम में गोपाल सिंह, उत्तर में किशन और दक्षिण में अमर द्वारा घिरा हुआ।	02–07–2025 और 21–07–2025	2,41,182.46 (रुपये दो लाख इकतालीस हजार एक सौ बयासी और छियालीस पैसे मात्र) 11.06.2025 तक
19	1) श्री सरफराज शाह, पुत्र बुन्दू शाह, 2) श्रीमती परवीन बी, पत्नी सरफराज शाह	ऋण खाता संख्या 45589440000841 45589410000881 ऋण राशि : रु. 3,25,000/–	अचल संपत्तिः मकान संख्या 302 वाला वह संपूर्ण भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण सहित, सर्वेक्षण संख्या 347, गृह संख्या 17 का एक भाग, ग्राम पंचायत रिंगनोद, तहसील जावरा और जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। सीमाः पूर्व में मदनलाल जी धोबी का मकान, पश्चिम में सड़क, उत्तर में इंकलाल शाह जी का मकान और दक्षिण में बाबू शाह जी का मकान।	02–07–2025 और 21–07–2025	2,62,016.77 (रुपये दो लाख बासठ हजार सोलह और सतहत्तर पैसे मात्र) 11.06.2025 तक
20	1) श्री विक्रम, पुत्र बापूलाल, 2) श्रीमती सीमा बाई, पत्नी विक्रम	ऋण खाता संख्या 36410430000131 48999170003143 ऋण राशिः रु.5,70,000/–	अचल संपत्तिः मकान/भूखंड संख्या 119 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट है, निर्माण सहित, सर्वेक्षण संख्या 276 का भाग, ग्राम अंतरलिया, पुलिस चौकी संख्या 32, ग्राम पंचायत अंतरलिया, जनपद पंचायत खाचरोद, तहसील नागदा एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। सीमाः पूर्व में सांवरिया का मकान, पश्चिम में खुली भूमि, उत्तर में सड़क और दक्षिण में सड़क।	02–07–2025 और 21–07–2025	5,51,502.86 (रुपये पाँच लाख इक्यावन हजार पाँच सौ दो और छियासी पैसे मात्र) 11.06.2025 तक
21	1) श्री बिप्लब बनिक, पुत्र दुलाल बनिक, 2) श्रीमती शताब्दी बनिक, पत्नी बिप्लब बनिक	ऋण खाता संख्या 45539420004442 45539430001995 ऋण राशिः रु.15,00,000/–	अचल संपत्तिः आवासीय मकान का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 625 वर्ग फुट है। (58.06 वर्ग मीटर), निर्माण सहित, वार्ड क्रमांक 14 (पुराना), नया 16, बजरंग नगर कॉलोनी, नगर पालिका पीथमपुर, तहसील एवं जिला धार (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में संजय दीक्षित का मकान, पश्चिम में इस मकान का शेष भाग, उत्तर में तोमर साब का मकान और दक्षिण में कॉमन रोड से घिरा है।	02–07–2025 और 21–07–2025	15,71,342.81 (रुपये पंद्रह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ बयालीस और इक्यासी पैसा मात्र) 13.07.2025 तक
22	1) श्री प्रकाश गुजवार, पुत्र दौलतराम गुजवार, 2) श्रीमती संगीता गुजवार, पत्नी प्रकाश गुजवार	ऋण खाता संख्या 45539420004850 ऋण राशिः रु. 15,00,000/–	अचल संपत्तिः प्लॉट संख्या 246 के भाग संख्या B वाला वह संपूर्ण भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट (41.82 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह अरिहंत नगर एक्सटेंशन, ग्राम जम्बूर्डी हप्सी, तहसील हातोद एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है। पूर्व में प्लॉट संख्या 245, पश्चिम में सड़क, उत्तर में प्लॉट संख्या 246 का शेष भाग संख्या ᵬ और दक्षिण में प्लॉट संख्या 246 का शेष भाग संख्या A है।	02–07–2025 और 21–07–2025	15,45,540.21 (रुपये पंद्रह लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ चालीस और इक्कीस पैसे मात्र) 13.07.2025 तक
23	1) श्री सहजाद शाह, पुत्र नासिर शाह, 2) श्रीमती सलामा बी, पत्नी सहजाद शाह	ऋण खाता संख्या 36419630000301 36419630000311 ऋण राशिः रु. 6,46,000/–	अचल संपत्तिः मकान/प्लॉट संख्या 112 वाला वह संपूर्ण भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 280 वर्ग फुट (26.02 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। नंबर 01, सावंत पुरा रोड, ग्राम भाटपचलाना, तहसील बड़नगर और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) में स्थित है। पूर्व में बाबूलाल पोरवाल का मकान, पश्चिम में प्रदीप योगी का मकान, उत्तर में आम रास्ता और दक्षिण में पंचायत की सरकारी जमीन से घिरा है।	02–07–2025 और 21–07–2025	13.07.2025 तक 6,45,848.74 (रुपये छह लाख पैंतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस और चौहत्तर पैसे मात्र)
24	1) श्री शुभम कुमार चौहान, पुत्र देवकरण चौहान, 2) श्री देवकरण चौहान	ऋण खाता सं. 30609420000670 ऋण राशिः रु. 40,00,000/–	अचल संपत्तिः रो हाउस नंबर 13 वाली जमीन का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 948.93 वर्ग फुट (88.19 वर्ग मीटर), भूतल पर 600.4 वर्ग फुट (55.8 वर्ग मीटर) और प्रथम तल पर 600.4 वर्ग फुट (55.8 वर्ग मीटर) आरसीसी निर्माण सहित, वार्ड नंबर 26 (सरल नंबर 615), गणेश विहार, जय नगर कॉलोनी (देवास जूनियर) में स्थित है, जो नगर निगम देवास, तहसील और जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर है। सीमाः पूर्व में आयकर कार्यालय, पश्चिम में सड़क, उत्तर में रो–हाउस संख्या 14 और दक्षिण में अन्य लोगों का घर।	02–07–2025 और 21–07–2025	40,85,735.25 (रुपये चालीस लाख पचासी हजार सात सौ पैंतीस और पच्चीस पैसे मात्र) 13.07.2025 तक
25	1) श्री मो. रशीद कुरैशी, पुत्र शरीफ (मृत) (संपत्ति मेसर्स नूर संग्रह), प्रतिनिधित्व उनकी एलआरएम श्रीमती अफसाना कुरैशी, पुत्र मो. रशीद, 2) श्रीमती अफसाना कुरैशी, पुत्र मो. रशीद	ऋण खाता संख्या 45529440000381 45529410001477 ऋण राशिः रु.11,63,000/–	अचल संपत्तिः भूखंड संख्या 247 के दक्षिणी भाग वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 945 वर्ग फुट (87.82 वर्ग मीटर) है, सर्वेक्षण संख्या 415, 416, 420, 421, 422 और 423 का हिस्सा है, जो 'पार्श्वकुंज' (अहमद नगर) कॉलोनी, ग्राम खजराना, इंदौर शहर, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है। सीमाः पूर्व में भूखंड संख्या 240, पश्चिम में कॉलोनी रोड, उत्तर में उसी भूखंड का शेष भाग और दक्षिण में भूखंड संख्या 248।	02–07–2025 और 21–07–2025	10,41,657.30 (रुपये दस लाख इकतालिस हजार छह सौ सत्तावन और तीस पैसे मात्र) 13.07.2025 तक
26	1)श्रीमती पूजा राजपूत, पत्नी शक्ति सिंह, 2) श्री इंदरसिंह केलवा, पुत्र नारायण सिंह, 3) श्री शक्ति सिंह, पुत्र इंदर सिंह	ऋण खाता संख्या 45579440001141 ऋण राशिः रु. 2,50,000/–	अचल संपत्तिः प्लॉट/मकान संख्या 830/1 वाला वह पूरा भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 1248 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह सर्वेक्षण संख्या 1753 का हिस्सा है। यह ग्राम नांदेड़, पुलिस चौकी संख्या 26, ग्राम पंचायत नांदेड़, जनपद पंचायत तराना, तहसील तराना और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में सड़क, पश्चिम में सड़क, उत्तर में अमन सिंह का मकान और दक्षिण में मालेक सिंह का मकान।	02–07–2025 और 24–07–2025	रु. 1,70,415.45/– (रुपये एक लाख सत्तर हजार चार सौ पंद्रह और पैंतालीस पैसे मात्र) 13.07.2025 तक
27	1) श्री फरदीन मंसूरी, पुत्र इनामुद्दीन मंसूरी, 2) श्रीमती हसीना बी, पत्नी इनामुद्दीन मंसूरी, 3) श्री इनामुद्दीन मंसूरी, पुत्र घसे खान	ऋण खाता संख्या 45529630001053 45529410002109 ऋण राशिः रु. 12,35,000/–	अचल संपत्तिः मकान संख्या 564–11 वाला वह पूरा भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (55.76 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह नगर निगम इंदौर, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर नंदन नगर, सेक्टर–एस में स्थित है। सीमाः पूर्व मेंः प्लॉट संख्या 563, पश्चिम मेंः प्लॉट संख्या 570, उत्तर मेंः सड़क और दक्षिण मेंरू पिछली गली।	02–07–2025 और 24–07–2025	12,50,361.44 (रुपये बारह लाख पचास हजार तीन एक सौ इकसठ और चौवालीस पैसे मात्र) 13.07.2025 तक
28	1) श्री शाहिद शेख, पुत्र मुबारिक शेख, 2) श्रीमती शीबा शेख, पत्नी शाहिद शेख, 3) श्रीमती शमीम शेख, पत्नी मुबारिक शेख	ऋण खाता संख्या 30609610000056 45539410000822 ऋण राशिः रु. 13,54,000/–	अचल संपत्तिः सर्वेक्षण संख्या 41 और 43 के भाग पर निर्मित मकान के पूर्वी भाग का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1350 वर्ग फुट (125.46 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह संपत्ति पुष्पकुंज कॉलोनी, ग्राम इटावा, पुलिस चौकी संख्या 19 (पुराना) नया 42, वार्ड संख्या 05, सरल संख्या 275 (गाइडलाइन के अनुसार) तहसील और जिला देवास (मध्य प्रदेश) में स्थित है। सीमाः पूर्व मेंः कॉलोनी 2 रोड, पश्चिम मेंः इस मकान का शेष भाग, उत्तर मेंः इस प्लॉट का शेष भाग और दक्षिण मेंः देवीसिंह जी की भूमि।	02–07–2025 और 24–07–2025	12,77,449.60 (रुपये बारह लाख सतहत्तर हजार चार सौ उनचास और साठ पैसे मात्र) 13.07.2025 तक

अतः, स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखित ऋणी/सह–ऋणी/गारंटर एवं बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे स्तंभ संख्या 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान, इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित ऋणी/सह–ऋणी के विरुद्ध करें, क्योंकि उक्त राशि स्तंभ संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कुल राशि, भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती हैं, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड स्तंभ संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को कानून के तहत उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं के विरुद्ध उपलब्ध अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है। आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूति का निपटान या लेन–देन करने या सुरक्षित परिसंपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया गया है।

दिनांकः 29.07.2025, स्थानः इंदौर — एसडी/– प्राधिकृत अधिकारी, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के लिए